श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय

(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

बी-4, कुतुब सांस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली-110016

क्रमांक : LBSNSU/Admn.I/2020-21/187 दिनांक : 02 सितम्बर, 2020

अधिसूचना

विश्वविद्यालयीय समस्त अध्यापकों को सूचित किया जाता है कि शैक्षणिक सत्र 2019–20 का **निपत्ति आधारित वार्षिक स्वमूल्यांकन एवं शैक्षणिक कार्य निष्पादन संकेतक (API) प्रतिवेदन** जोकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिसूचना–जुलाई 2018 के अनुसार पूर्व निर्मित है, को पूर्ण कर 10 दिनों के भीतर अपने विभागाध्यक्ष को प्रेषित करेंगे तथा विभागाध्यक्ष 10 दिनों के भीतर मूल्यांकन कर अपने संबंधित संकायाध्यक्ष को आवश्यक टिप्पणी सहित अग्रसारित करेंगे।

संकायाध्यक्ष से अनुरोध किया जाता है कि वे अपने विभाग के संबंधित अध्यापकों द्वारा प्रेषित एवं संबंधित विभागाध्यक्ष द्वारा अग्रसारित प्रतिवेदनों का मूल्यांकन कर 10 दिनों के भीतर माननीय कुलपति कार्यालय में आवश्यक नोट/टिप्पणी के साथ सूची सहित प्रस्तुत करेंगे।

साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि जिन अध्यापकों की प्रोन्नति/पदोन्नति वर्ष 2020 में देय है, वे विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित **कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के अन्तर्गत पदोन्नति हेतु निष्पत्ति आधारित प्रतिवेदन** पूरित कर 10 दिनों के भीतर सहायक कुलसचिव प्रशासन– शैक्षणिक–वर्ग को प्रेषित करें।

नोट : उपर्युक्त से संबंधित प्रतिवेदन अधिसूचना के साथ संलग्न है।

भारती त्रिपाठी

(भारती त्रिपाठी)
सहायक कुलसचिव (प्रशासन–शैक्षणिक वर्ग)

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. विश्वविद्यालयीय समस्त अध्यापक महानुभाव
2. समस्त विभागाध्यक्ष
3. समस्त संकायाध्यक्ष
4. आन्तरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ
5. संगणक विभाग को इस आशय से प्रेषित है कि वे इस आदेश को विद्यापीठीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करें।
6. निजी सचिव, कुलपति
7. संबंधित पत्रावली

भारती त्रिपाठी

(भारती त्रिपाठी)
सहायक कुलसचिव (प्रशासन–शैक्षणिक वर्ग)

फार्म सं. 35 (संशोधित)

श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

बी-14, कुतुब सांस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली – 110 016

(जुलाई 2018 से प्रभावी)

निष्पत्ति आधारित वार्षिक स्वमूल्यांकन एवं शैक्षणिक कार्य निष्पादन संकेतक (API) प्रतिवेदन

[विश्वविद्यालय / महाविद्यालय के शिक्षकों हेतु आकलन मानदंड और पद्धति – विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिसूचना – जुलाई 2018 के अनुसार]

शैक्षणिकसत्र –20_____ से 20_____

1. नाम :–

2. पिता का नाम :–

3. संकाय एवं विभाग :–

4. वर्तमान पद एवं शैक्षणिक ग्रेड पे :–

5. प्रथम नियुक्ति तिथि एवं पद :–

6. विगत पदोन्नति की तिथि :–

7. वर्तमान पता (दूरभाष संख्या एवं ई-मेल) :–

8. इस वर्ष प्राप्त की गई अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता :–

9. इस वर्ष किया गया अभिविन्यास / पुनश्चर्या कार्यक्रम :–

कार्यक्रम का नाम	स्थान	अवधि	आयोजक का नाम

परिशिष्ट - II, तालिका - 1

क्र० सं०	क्रियाकलाप	ग्रेडिंग
1.	शिक्षण - (पढ़ाई गई कक्षाओं की संख्या / सौंपी गई कुल कक्षाएं) x100% (पढ़ाई गई कक्षाओं में अनुशिक्षण, प्रयोगशाला और शिक्षण संबंधी अन्य क्रियाकलाप शामिल है) ग्रेडिंग मानदंड – • अच्छा - 80 प्रतिशत और अधिक • संतोषजनक – 80 प्रतिशत से कम लेकिन 70 प्रतिशत से अधिक • असंतोषजनक – 70 प्रतिशत से कम	प्रदत्त कक्षाएं :– अध्यापित कक्षाएं :– अध्यापित कक्षाओं का प्रतिशत :– ग्रेडिंग :– • अच्छा/ संतोषजनक/ असंतोषजनक
2.	विश्वविद्यालयों / महाविद्यालयों के छात्र संबंधी क्रियाकलापों / शोध क्रियाकलापों में भागीदारी -	क्रियाकलापों के विवरण
	(क) प्राशासनिक दायित्व जैसे कि मुखिया, अध्यक्ष / मंकाय अध्यक्ष / निदेशक / समन्वयक / वार्डन आदि।	
	(ख) विश्वविद्यालय / महाविद्यालय द्वारा सौंपी हुई परीक्षा और मूल्यांकन ड्यूटी अथवा परीक्षा पत्र मूल्यांकन हेतु उपस्थित होना।	
	(ग) छात्रों से संबंधित पाठ्यक्रम से जुडी, विस्तार और क्षेत्र आधारित क्रियाकलापों जैसे कि विद्यार्थी क्लब, कैरियर परामर्श, अध्ययन दौरा, छात्र संगोष्ठी और अन्य क्रियाकलाप, सांस्कृतिक, खेलकूद, एन.सी.सी., एन.एम.एम., और समाज मेवा।	
	(घ)संगोष्ठियों / सम्मेलन / कार्यशालाएं / अन्य विश्वविद्यालय / महाविद्यालय संबंधी क्रियाकलापों का आयोजन।	
	(ङ) पी.एच.डी. छात्रों को मार्गदर्शन प्रदान करने में सक्रिय भागीदारी के साक्ष्य।	
	(च) राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा प्रायोजित लघु और बृहद अनुसंधान परियोजनाओं का आयोजन।	
	(छ) समकक्ष व्यक्ति ममीक्षित अथवा विश्वविद्यान द्वारा निर्धारित मूची के जर्नल मे कम मे कम एक एकल या मंयुक्त प्रकाशन।	

<table>
<tr><td></td><td>ग्रेडिंग मानदंड -
• अच्छा – कम से कम 3 क्रियाकलापों में भागीदारी
• संतोषजनक – 1 से 2 क्रियाकलाप
• असंतोषजनक – किसी भी क्रियाकलाप में भाग नहीं लेना / कोई भी क्रियाकलाप नहीं करना
ध्यातव्य - क्रियाकलापों की संख्या क्रियाकलापों की बृहद श्रेणी के अन्तर्गत या सभी श्रेणियों को मिलाकर हो सकती है।</td><td>कुल क्रियाकलापों की संख्या - ______

ग्रेडिंग –
• अच्छा / संतोषजनक / असंतोषजनक</td></tr>
<tr><td colspan="2">समग्र ग्रेडिंग
• अच्छा – शिक्षण में अच्छा और क्रम संख्या 2 पर उल्लिखित क्रियाकलापों में संतोषजनक या अच्छा हो।
• संतोषजनक – शिक्षण में संतोषजनक और क्रम संख्या 2 पर उल्लिखित क्रियाकलापों में अच्छा या संतोषजनक।
• असंतोषजनक - यदि समग्र ग्रेडिंग में न तो अच्छा हो और न ही संतोषजनक हो।</td><td>समग्र ग्रेडिंग–
• अच्छा / संतोषजनक / असंतोषजनक</td></tr>
</table>

ध्यातव्य -क्रम संख्या1 और 2 में दिये गए क्रियाकलापों की ग्रेडिंग के आकलन के प्रयोजन हेतु, ऐसी सभी अवधियाँ जो शिक्षकों द्वारा मातृत्व अवकाश, बाल परिचर्या अवकाश, अध्ययन छुट्टी, चिकित्सा छुट्टी जैसी विभिन्न प्रकार की वैतनिक छुट्टियों पर व्यतीत की गई हैं और ग्रेडिंग आकलन में से प्रतिनियुक्ति को शामिल नहीं किया जाएगा। शिक्षक का शेष अवधि के लिए आकलन किया जाएगा और शिक्षक की ग्रेडिंग करने के लिए आकलन की सम्पूर्ण अवधि में से इन अवधियों को हटा दिया जाएगा। उपरोक्त वर्णित ऐसी छुट्टियों / प्रतिनियुक्ति के कारण शिक्षक को सी.ए.एस. के अंतर्गत प्रोन्नति में शिक्षण दायित्वों से उनकी अनुपस्थिति के कारण कोई नुकसान नहीं होगा। बशर्ते ऐसी छुट्टियाँ / प्रतिनियुक्ति इन विनियमों में निर्धारित सभी प्रक्रियाओं का अनुपालन करके सक्षम अधिकारियों के पूर्व-अनुमोदन से और मूल संस्थान के अधिनियमों, संविधियों और अध्यादेशों के अनुसार ली गई हों।

<table>
<tr><th colspan="3">'सी.ए.एस.' प्रोन्नति मानदण्ड</th></tr>
<tr><td rowspan="2">अकादमिक स्तर 10 से 11
(ए.जी.पी. 6000 से 7000)</td><td>योग्यता</td><td>(क) एक सहायक आचार्य जिसने पी.एच.डी की उपाधि के साथ सेवा में चार वर्ष पूरे किए हो अथवा पेशेवर पाठ्यक्रम जैसे एल.एल.एम., एम.टेक., एम.वी.एस.सी. और एम.डी. में एम.फिल / स्नातकोत्तर की उपाधि के साथ सेवा में पाँच वर्ष अथवा पेशेवर पाठ्यक्रम में पी.एच.डी. / एम.फिल. / स्नातकोत्तर की उपाधि के बिना सेवा में छह वर्ष पूरे किए हों और निम्न लिखित शर्तों को पूरी करता हो।
(ख) शिक्षण कार्यविधि पर 21 दिन की अवधि के एक प्रबोधन पाठ्यक्रम में भाग लिया हो।
(ग) इनमें से कोई एक किया हो – मूल्यांकन अवधि के दौरान कम से कम सप्ताह (5 दिन) की अवधि का पुनश्चर्या पाठ्यक्रम / शोध कार्यविधि पाठ्यक्रम / कार्यशाला / पाठ्यचर्या उन्नयन कार्यशाला / प्रशिक्षण शिक्षण – ज्ञान अर्जन – मूल्यांकन, प्रौद्योगिकी कार्यक्रम/ संकाय विकास कार्यक्रम पूरा किया हो अथवा एक एम.ओ.ओ.सी. पाठ्यक्रम (ई-प्रमाणन के साथ) पूरा किया हो अथवा चार चतुर्थांश में ई-विषयवस्तु के विकास / एम.ओ.ओ.सी पाठ्यक्रम पूरा किया हो, और
(घ) मूल्यांकन अवधि के दौरान समकक्ष व्यक्ति समीक्षित अथवा वि.अ.आ. सूचीबद्ध जर्नलों में एक शोध प्रकाशन प्रकाशित हुआ हो।</td></tr>
<tr><td>मानदण्ड</td><td>(क) जैसा कि परिशिष्ट – II तालिका – 1 में विनिर्दिष्ट है, मूल्याङ्कन अवधि के पिछले चार / पाँच / छह वर्षों में से कम से कम तीन / चार / पाँच, इनमें से जो भी लागू हो, वर्ष की वार्षिक निष्पादन मूल्याङ्कन रिपोर्ट में 'सन्तोषजनक' अथवा 'अच्छे' ग्रेड प्राप्त हुए हों।
(ख) प्रोन्नति की सिफारिश छानबीन – सह – मूल्याङ्कन समिति द्वारा की गई हो।</td></tr>
</table>

अकादमिक स्तर 11 से 12 (ए.जी.पी. 7000 से 8000)	योग्यता	(क) ऐसे सहायक आचार्य जिन्होने अकादमिक स्तर 11 / वरिष्ठ वेतनमान में पाँच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो। (ख) मंगत / मंवद्ध विषय में पी.एच.डी की उपाधि प्राप्त की हो। (ग) अकादमिक स्तर – 11 / वरिष्ठ वेतनमान के पिछले पाँच वर्षों के दौरान निम्नलिखित में से **कोई दो किए हों** - मूल्यांकन की अवधि के दौरान कम से कम दो सप्ताह (10 दिन) की अवधि (अथवा कम से कम दो सप्ताह (दस दिनों) की अवधि के प्रत्येक एकल पाठ्यक्रम / कार्यक्रम के स्थान पर कम से कम एक सप्ताह (पाँच दिन) की अवधि के दो पाठ्यक्रम पूर्ण किए हों) के पुनश्चर्या पाठ्यक्रम / शोध कार्यविधि पाठ्यक्रम / कार्यशालाओं / पाठ्यचर्या उन्नयन कार्यशाला / शिक्षण – ज्ञान अर्जन – मूल्यांकन / प्रौद्योगिकी कार्यक्रम / संकाय विकास कार्यक्रम / पाठ्यक्रम पूर्ण किए हो; अथवा संगत विषय में (ई-प्रमाणन) सहित एम.ओ.ओ.सी. पाठ्यक्रम पूर्ण किया हो; एक पाठ्यक्रम के कम से कम 10 माड्यूल के 4 चतुर्थांश (कम से कम एक चतुर्थांश) में ई-विषयवस्तु के विकास में योगदान दिया हो / एम.ओ.ओ.सी पाठ्यक्रम संचालित करने में योगदान दिया हो। (घ) मूल्यांकन अवधि के दौरान समकक्ष व्यक्ति समीक्षित अथवा वि.अ.आ. सूचीबद्ध जर्नलों में **तीन शोध पत्र प्रकाशित** हुए हो।
	मानदण्ड	(क) मूल्याङ्कन अवधि के दौरान पिछले पाँच वर्षों में से कम से कम चार वर्षों के दौरान शिक्षक को वार्षिक निष्पादन मूल्याङ्कन रिपोर्ट में 'सन्तोषजनक' अथवा 'अच्छे' ग्रेड प्राप्त हुए हों (जैसा कि परिशिष्ट – II तालिका – 1 में विनिर्दिष्ट है)। (ख) प्रोन्नति की सिफारिश छानबीन – सह – मूल्याङ्कन समिति द्वारा की गई हो।
अकादमिक स्तर 12 से 13 (ए.जी.पी. 8000 से 9000)	योग्यता	(क) ऐसे सहायक आचार्य जिन्होंने अकादमिक स्तर 12 / चयन ग्रेड में तीन वर्ष की सेवा पूर्ण की हो। (ख) संगत / संवद्ध विषय में पी.एच.डी. की उपाधि प्राप्त हो। (ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान निम्नलिखित में से **कोई एक कार्यक्रम / पाठ्यक्रम** पूर्ण किए हो – मूल्यांकन की अवधि के दौरान कम से कम दो सप्ताह (10 दिन) की अवधि (अथवा कम से कम दो सप्ताह (दस दिनों) की अवधि के प्रत्येक एकल पाठ्यक्रम / कार्यक्रम के स्थान पर कम से कम एक सप्ताह (पाँच दिन) की अवधि के दो पाठ्यक्रम पूर्ण किए हों) के पुनश्चर्या पाठ्यक्रम / कार्यविधि कार्यशाला / पाठ्यचर्या उन्नयन कार्यशाला / शिक्षण – ज्ञान अर्जन – मूल्यांकन / प्रौद्योगिकी कार्यक्रम / संकाय विकास कार्यक्रम श्रेणी के कार्यक्रमों / पाठ्यक्रमों में से कम से कम 10 माड्यूल के 4 चतुर्थांश (कम से कम एक चतुर्थांश) में ई-विषयवस्तु के विकास में योगदान दिया हो / एम.ओ.ओ.सी पाठ्यक्रम संचालित करने में योगदान दिया हो। (ग) मूल्यांकन अवधि के दौरान समकक्ष व्यक्ति समीक्षित अथवा वि.अ.आ. सूचीबद्ध जर्नलों में कम से कम सात प्रकाशन हुए हों **जिसमें तीन शोधपत्रमूल्यांकन अवधि के दौरान** प्रकाशित हुए हो। (घ) कम से कम एक पी.एच.डी. अभ्यर्थी का मार्गदर्शन करने के साक्ष्य हो।
	मानदण्ड	(क) जैसा कि परिशिष्ट – II तालिका – 1 में विहित है, मूल्याङ्कन अवधि के पिछले तीन वर्षों में से कम से कम दो वर्षों की वार्षिक निष्पादन मूल्याङ्कन रिपोर्ट में 'सन्तोषजनक' अथवा 'अच्छे' ग्रेड प्राप्त हुए हों; और जैसा कि परिशिष्ट – II तालिका – 2 में विहित है, कम से कम 70 शोध अङ्क प्राप्त किए हो। (ख) इन विनियमों के अनुसार गठित चयन समिति द्वारा प्रोन्नति की सिफारिश की गई हो।
अकादमिक स्तर 13क से 14 (ए.जी.पी. 9000 से 10000)	योग्यता	(क) ऐसे सहायक आचार्य जिन्होंने अकादमिक स्तर 13क में तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो। (ख) संबंधित / संबद्ध / संगत विषय में पी.एच.डी. की उपाधि प्राप्त की हो। (ङ) समकक्ष व्यक्ति समीक्षित अथवा वि.अ.आ सूचीबद्ध जर्नलों में कम से कम **दस शोध प्रकाशन** किए हों **जिनमें से तीन शोधपत्र मूल्यांकन अवधि के दौरान** प्रकाशितहुए हो। (ग) पी.एच.डी. अभ्यर्थियों का सफलतापूर्वक मार्गदर्शन करने के साक्ष्य हो।
	मानदण्ड	(क) परिशिष्ट II तालिका 2 के अनुसार कम से कम 110 शोध अंक प्राप्त किए हों। (ख) जैसा कि परिशिष्ट – II तालिका – 1 में विहित है, शिक्षक को मूल्याङ्कन अवधि के पिछले तीन वर्षों में से कम से कम दो वर्षों की वार्षिक निष्पादन मूल्याङ्कन रिपोर्ट में 'सन्तोषजनक' अथवा 'अच्छे' ग्रेड प्राप्त हुए हों तथा परिशिष्ट – II तालिका – 2 में यथा विहित है, कम से कम **110 शोध** अङ्क प्राप्त किए हों। (ग) इन विनियमों के अनुसार गठित चयन समिति द्वारा प्रोन्नति की सिफारिश की गई हो।
अकादमिक स्तर 14 से 15	योग्यता	(क) आचार्य के पद पर दस वर्ष का अनुभव। (ख) समकक्ष व्यक्ति समीक्षित अथवा वि.अ.आ सूचीबद्ध जर्नलों में कम से कम **दस शोध प्रकाशन** किए हों तथा मूल्यांकन अवधि के दौरान उनके पर्यवेक्षण में **दो अभ्यर्थियों को सफलतापूर्वक पी.एच.डी की उपाधि** प्रदान की गई हो।

परिशिष्ट - II, तालिका - 2

शैक्षणिक / शोध अंक की गणना हेतु विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के शिक्षकों के लिए कार्यप्रणाली –

(आकलन शिक्षकों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों पर आधारित होना चाहिए, जैसे – प्रकाशनों की प्रति, परियोजना स्वीकृति पत्र, विश्वविद्यालय द्वारा जारी उपयोग तथा पूर्णता प्रमाण पत्र, पेटेंट दर्ज कराने संबंधी अभिस्वीकृति और स्वीकृति पत्र, विद्यार्थियों को पीएच.डी. उपाधि प्रदान किए जाने संबंधी पत्र इत्यादि।)

क्र० सं०	शोध, प्रकाशन एवं शैक्षणिक योगदान	भाषा / मानविकी / कला / सामाजिक विज्ञान / पुस्तकालय / शिक्षा / शारीरिक शिक्षा / वाणिज्य / प्रबन्धन तथा अन्य संबंधित विधाएं	प्राप्ताङ्क
1.	समकक्ष व्यक्ति समीक्षित अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सूचीबद्ध पत्रों में शोध पत्र	10 प्रति पत्र	
2.	प्रकाशन (शोध पत्रों के अतिरिक्त)		
	(क) लिखी गई पुस्तकें, जिन्हें निम्नवत के द्वारा प्रकाशित किया गया –		
	१. अन्तर्राष्ट्रीय प्रकाशक	12	
	२. राष्ट्रीय प्रकाशक	10	
	३. सम्पादित पुस्तक में अध्याय	05	
	४. अन्तर्राष्ट्रीय प्रकाशक द्वारा पुस्तक का सम्पादन	10	
	५. राष्ट्रीय प्रकाशक द्वारा पुस्तक का सम्पादन	08	
	(ख) योग्य सङ्काय द्वारा भारतीय और विदेशी भाषाओं में अनुवाद कार्य –		
	१. अध्याय अथवा शोध पत्र	03	
	२. पुस्तक	08	
3.	आई.सी.टी. के माध्यम से शिक्षण ज्ञानार्जन, शिक्षण शास्त्र और विषयवस्तु का सृजन तथा नए और नवोन्मेषी पाठ्यक्रमों और पाठ्यचर्या का विकास		
	(क) नवोन्मेषी अध्यापन का विकास	05	
	(ख) नई पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रमों को तैयार करना	02 प्रति पाठ्यचर्या / पाठ्यक्रम	
	(ग) एम.ओ.ओ.सी.		
	१. चार चतुर्थांश में पूर्ण एम.ओ.ओ.सी. का विकास (4 क्रेडिट पाठ्यक्रम) (कम क्रेडिट के एम.ओ.ओ.सी. के मामले में 05 अङ्क / क्रेडिट)	20	
	२. प्रति माड्यूल / व्याख्यान एम.ओ.ओ.सी. (चार चतुर्थांश में विकसित)	05	
	३. विषयवस्तु लेखक / एम.ओ.ओ.सी. के प्रत्येक माड्यूल हेतु विषयवस्तु विशेषज्ञ (कम से कम एक चतुर्थांश)	02	
	४. एम.ओ.ओ.सी. हेतु पाठ्यक्रम समन्वयक (4 क्रेडिट पाठ्यक्रम) (कम क्रेडिट के एम.ओ.ओ.सी. के मामले में 02 अङ्क / क्रेडिट)	08	
	(घ) ई-विषयवस्तु		
	१. पूर्ण पाठ्यक्रम / ई-पुस्तक हेतु चार चतुर्थांश में ई-विषयवस्तु का विकास	12	
	२. प्रति माड्यूल ई-विषयवस्तु (चार चतुर्थांश में विकसित)	05	
	३. समग्र पाठ्यक्रम / पत्र / ई-पुस्तक में ई-विषयवस्तु माड्यूल के विकास में योगदान (कम से कम एक चतुर्थांश)	02	
	४. सम्पूर्ण पाठ्यक्रम / पत्र / ई-पुस्तक हेतु ई-विषयवस्तु का सम्पादन	10	

4.	शोध क्रियाकलाप		
	(क) शोध मार्गदर्शन		
	१. पीएच.डी.	10 प्रति प्रदान की गई उपाधि 05 प्रति जमा किए गए शोध प्रबन्ध	
	२. एम.फिल. / स्नातकोत्तर शोध प्रबन्ध	02 प्रति प्रदान की गई उपाधि	
	(ख) पूरी की गई शोध परियोजनाएं		
	१. 10 लाख से अधिक	10	
	२. 10 लाख से कम	05	
	(ग) जारी शोध परियोजनाएं		
	१. 10 लाख से अधिक	05	
	२. 10 लाख से कम	02	
	(घ) परामर्शदात्री सेवाएं	03	
5.			
	(क) पेटेंट		
	१. अन्तर्राष्ट्रीय	10	
	२. राष्ट्रीय	07	
	(ख) नीतिगत दस्तावेज (सं.रा.सं. / यूनेस्को / विश्व बैंक / अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष इत्यादि अथवा केन्द्र सरकार या राज्य सरकार जैसी किसी अन्तरराष्ट्रीय निकाय / संगठन को सौंपे गए)		
	१. अन्तर्राष्ट्रीय	10	
	२. राष्ट्रीय	07	
	३. राज्य	04	
	(ग) पुरस्कार / अध्येतावृत्ति		
	१. अन्तर्राष्ट्रीय	07	
	२. राष्ट्रीय	05	
6.	*अतिथि व्याख्यान / संसाधक / संगोष्ठियों / सम्मेलनों में पत्र प्रस्तुतीकरण / सम्मेलन कार्यवाहियों में पूर्ण पत्र प्रस्तुत करना (संगोष्ठियों / सम्मेलनों में प्रस्तुत किए गए पत्र और सम्मेलन कार्यवाहियों में पूर्ण पत्र के रूप में प्रकाशित पत्रों की गणना सिर्फ एक बार की जाएगी)		
	१. अन्तर्राष्ट्रीय (विदेश)	07	
	२. अन्तर्राष्ट्रीय (देश के भीतर)	05	
	३. राष्ट्रीय	03	
	४. राज्य / विश्वविद्यालय	02	

सहकर्मी द्वारा समीक्षित अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सूचीबद्ध जर्नल (थॉमसन रॉयटर्स की सूची के अनुसार निर्धारित किए जाने वाले प्रभाव कारक) –

i. प्रभाव कारक रहित सन्दर्भित जर्नल में प्रकाशित पत्र – 05 अङ्क
ii. 1 से कम प्रभाव कारक वाले पत्र – 10 अङ्क
iii. 1 और 2 के बीच प्रभाव कारक वाले पत्र – 15 अङ्क
iv. 2 और 5 के बीच प्रभाव कारक वाले पत्र – 20 अङ्क

v. 5 और 10 के बीच प्रभाव कारक वाले पत्र – 25 अङ्क

vi. 10 से अधिक प्रभाव कारक वाले पत्र – 30 अङ्क

(क) दो लेखक – प्रत्येक लेखन हेतु प्रकाशन के कुल मान का 70 प्रतिशत

(ख) दो से अधिक लेखक – प्रथम / मूल / संवादी लेखक हेतु प्रकाशन के कुल मान का 70 प्रतिशत और प्रत्येक संयुक्त लेखकों हेतु प्रकाशन के कुल मान का 30 प्रतिशत

संयुक्त परियोजनायें – मूल शोधकर्ता और सह शोधकर्ता में से प्रत्येक को 50 प्रतिशत होगा

ध्यातव्य –

- यदि सम्पादित पुस्तक अथवा कार्यवाहियों के भाग के रूप में पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो इस पर एक बार ही दावा किया जा सकता है।
- शोध विद्यार्थियों के संयुक्त पर्यवेक्षण के लिये पर्यवेक्षक और सह पर्यवेक्षक हेतु सूत्र, कुल प्रामांक का 70 प्रतिशत होगा। पर्यवेक्षक और सह-पर्यवेक्षक दोनों में से प्रत्येक को 7 अंक मिलेंगे।
- *शिक्षक के शोध अंकों की गणना करने के लिए प्रयोजनार्थ 5 (ख), नीतिगत दस्तावेज और 6 की श्रेणियों में से संयुक्त शोध अंक, आमन्त्रित व्याख्याता / संसाधक / पत्र प्रस्तुतीकरण संबंधित शिक्षक के कुल शोध अंकों के लिए अधिकतम 30 प्रतिशत की ऊपरी सीमा होगी।
- शोध प्रामांक 6 श्रेणियों में से कम से कम तीन श्रेणियों से होंगे।

मूल्यांकन अवधि का API अंक का सारांश :

श्रेणी सख्या संख्या	श्रेणी का नाम	मूल्यांकित वर्ष की ग्रेडिंग / API अंक	20............	20...........	20............	20...........	20..........	योग
I	शिक्षण सम्बन्धित क्रियाकलाप							
II	छात्र / शोध सम्बन्धित क्रियाकलाप							
III	शोध, प्रकाशन एवं शैक्षणिक योगदान							

अन्य सूचनायें

क्रम सं.	विवरण

उपर्युक्त सभी सूचनाएं मेरे संज्ञान में सत्य है और उनके समर्थन में आवश्यक प्रमाण–पत्र संलग्न किये गये हैं जिनका विवरण निम्न सूची में दिया जा रहा है।

संलग्न प्रमाण–पत्रों की सूची :–

क्र.स.	सम्बन्धित प्रमाण–पत्र	क्र.स.	सम्बन्धित प्रमाण–पत्र

अध्यापक का नाम : ....

पदनाम : ....

हस्ताक्षर : ....

दिनांक : ....

विभागाध्यक्ष द्वारा मूल्यांकन

(प्रतिवेदन मूल्यांकन वर्ष : ....)

1. अध्यापक का नाम एवं पद : ....
2. अध्यापक की सहभागिता एवं समर्पण : ....
3. अध्यापन की योजना क्षमता और अध्यापन कौशल : ....
4. सत्यनिष्ठता : ....
5. अनुशासनात्मक कार्यवाही / चेतावनी (मूल्यांकित वर्ष में यदि कोई हो) : ....
6. समय–निष्ठता : ....
7. अतिरिक्त क्रियाकलापों में सहभागिता :–
   (अ) विभागीय प्रशासकीय क्रियाकलापों में सहभागिता : ....
   (ब) विभागीय अध्ययन मण्डल एवं शोध समीक्षा समिति में सहभागिता: ....
   (स) शिक्षणेतर गतिविधियों में सहभागिता : ....
   (द) अन्य क्रिया कलापों में सहभागिता (विवरण सहित) : ....
8. वार्षिक ग्रेडिंग / एपीआई का श्रेणीवार तथ्यसंगत मूल्यांकन

श्रेणी संख्या	श्रेणी का नाम	मूल्यांकित ग्रेडिंग / अंक	सहमत / असहमत (असहमति प्रमाण सहित स्पष्टीकरण)
I	शिक्षण संबंधी क्रियाकलाप ग्रेडिंग –	(1)	(1) सहमत / असहमत
	श्रेणी–I ग्रेडिंग	----------------	
II	छात्र / शोध संबंधित क्रियाकलाप कुल क्रियाकलापों की संख्या ग्रेडिंग	(1) .... (2)	(1)सहमत / असहमत (2)सहमत / असहमत
	श्रेणी–II ग्रेडिंग	-------------------	
III	शोध, प्रकाशन एवं शैक्षणिक योगदान	(1)---------- अंक (2) --------- अंक (3) ---------- अंक (4)---------- अंक (5) --------- अंक (6) ---------- अंक	(1) सहमत / असहमत (2) सहमत / असहमत (3) सहमत / असहमत (4) सहमत / असहमत (5) सहमत / असहमत 6) सहमत / असहमत
	श्रेणी–III कुल **API**अंक	------------------ अंक	सहमत / असहमत

यदि असहमत हैं तो श्रेणी संख्या : ....

प्रमाण सहित स्पष्टीकरण : ....

हस्ताक्षर : ....

नाम व पदनाम : ....

विभागाध्यक्ष पद पर नियुक्ति तिथि : ....

मुहर : .... तिथि: ....

संकाय प्रमुख द्वारा मूल्यांकन

(प्रतिवेदन मूल्यांकन वर्ष : ....)

1. अध्यापक का नाम एवं पद ....
2. नियुक्ति तिथि ....
3. आवेदक के स्व मूल्यांकन की टिप्पणी में किसी विशेष बिन्दु पर प्रतिकूल टिप्पणी यदि कोई हो, तो ....
4. विभागाध्यक्ष द्वारा किये गये मूल्यांकन पर विशेष टिप्पणी : ....
5. मूल्यांकन सारांश
   - क. अध्यापक के कार्यों के विषय में :– (सर्वोत्कृष्ट / सर्वोत्तम / उत्तम / संतोषजनक / असंतोषजनक)
   - ख. अध्यापक के चरित्र के विषय में :– (सर्वोत्कृष्ट / सर्वोत्तम / उत्तम / संतोषजनक / असंतोषजनक)
6. अन्य कोई टिप्पणी : ....

6. वार्षिक एपीआई का श्रेणीवार तथ्यसंगत मूल्यांकन

श्रेणी संख्या	श्रेणी का नाम	मूल्यांकित ग्रेडिंग / अंक	सहमत / असहमत (असहमति प्रमाण सहित स्पष्टीकरण)
I	शिक्षण संबंधी क्रियाकलाप ग्रेडिंग	(1)----------	(1) सहमत / असहमत
	श्रेणी–I ग्रेडिंग	---------------	
II	छात्र / शोध संबंधित क्रियाकलाप कुल क्रियाकलापों की संख्या ग्रेडिंग	(1)---------- (2) ---------	(1)सहमत / असहमत (2)सहमत / असहमत
	श्रेणी–II ग्रेडिंग	------------------	
III	शोध, प्रकाशन एवं शैक्षणिक योगदान	(1)---------- अंक (2) --------- अंक (3) ---------- अंक (4)---------- अंक (5) --------- अंक (6) ---------- अंक	(1) सहमत / असहमत (2) सहमत / असहमत (3) सहमत / असहमत (4) सहमत / असहमत (5) सहमत / असहमत 6) सहमत / असहमत
	श्रेणी–III कुल **API**अंक	------------------ अंक	सहमत / असहमत

यदि असहमत है तो श्रेणी संख्या : ....

प्रमाण सहित स्पष्टीकरण : ....

हस्ताक्षर : ....

मुहर : .... नाम व पदनाम : ....

तिथि : .... संकायाध्यक्ष पद पर नियुक्ति तिथि : ....

कुलपति महोदय की स्वीकृति / अस्वीकृति

कुलपति

फार्म सं. 36 (संशोधित)

श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

बी-14, कुतुब सांस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली – 110 016

(जुलाई 2018 से प्रभावी)

कैरियर एडवांसमेंटस्कीम (यूजीसी) के अन्तर्गतपदोन्नतिहेतुनिष्पत्तिआधारितप्रतिवेदन

[विश्वविद्यालय / महाविद्यालय के शिक्षकों हेतु आकलन मानदंड और पद्धति – विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिसूचना – जुलाई 2018 के अनुसार]

शैक्षणिकसत्र –20____ से 20____

1. नाम :-
2. पिता का नाम :-
3. संकाय एवं विभाग :-
4. वर्तमान पद एवं शैक्षणिक ग्रेड पे :-
5. प्रथम नियुक्ति तिथि एवं पद :-
6. विगत पदोन्नति की तिथि :-
7. वर्तमान पता (दूरभाष संख्या एवं ई-मेल) :-
8. इस वर्ष प्राप्त की गई अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता :-
9. इस वर्ष किया गया अभिविन्यास / पुनश्चर्या कार्यक्रम :-

कार्यक्रम का नाम	स्थान	अवधि	आयोजक का नाम

परिशिष्ट - II, तालिका - 1

क्र० सं०	क्रियाकलाप	ग्रेडिंग
1.	शिक्षण - (पढ़ाई गई कक्षाओं की संख्या / सौंपी गई कुल कक्षाएं) x100% (पढ़ाई गई कक्षाओं में अनुशिक्षण, प्रयोगशाला और शिक्षण संबंधी अन्य क्रियाकलाप शामिल है) **ग्रेडिंग मानदंड –** • अच्छा - 80 प्रतिशत और अधिक • संतोषजनक – 80 प्रतिशत से कम लेकिन 70 प्रतिशत से अधिक • असंतोषजनक – 70 प्रतिशत से कम	प्रदत्त कक्षाएं :– अध्यापित कक्षाएं :– अध्यापित कक्षाओं का प्रतिशत :– ग्रेडिंग :– • अच्छा/ संतोषजनक/ असंतोषजनक
2.	विश्वविद्यालयों / महाविद्यालयों के छात्र संबंधी क्रियाकलापों / शोध क्रियाकलापों में भागीदारी -	क्रियाकलापों के विवरण
	(क) प्रशासनिक दायित्व जैसे कि मुखिया, अध्यक्ष / संकाय अध्यक्ष / निदेशक / समन्वयक / वार्डन आदि।	
	(ख) विश्वविद्यालय / महाविद्यालय द्वारा सौंपी हुई परीक्षा और मूल्यांकन ड्यूटी अथवा परीक्षा पत्र मूल्यांकन हेतु उपस्थित होना।	
	(ग) छात्रों से संबंधित पाठ्यक्रम से जुडी, विस्तार और क्षेत्र आधारित क्रियाकलापों जैसे कि विद्यार्थी क्लब, कैरियर परामर्श, अध्ययन दौरा, छात्र संगोष्ठी और अन्य क्रियाकलाप, सांस्कृतिक, खेलकूद, एन.सी.सी., एन.एस.एस., और समाज सेवा।	
	(घ)संगोष्ठियों / सम्मेलन / कार्यशालाएं / अन्य विश्वविद्यालय / महाविद्यालय संबंधी क्रियाकलापों का आयोजन।	
	(ङ) पी.एच.डी. छात्रों को मार्गदर्शन प्रदान करने में सक्रिय भागीदारी के साक्ष्य।	
	(च) राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा प्रायोजित लघु और वृहद अनुसंधान परियोजनाओं का आयोजन।	
	(छ) समकक्ष व्यक्ति समीक्षित अथवा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सूची के जर्नल में कम से कम एक एकल या संयुक्त प्रकाशन।	

	ग्रेडिंग मानदंड - • **अच्छा** – कम से कम 3 क्रियाकलापों में भागीदारी • **संतोषजनक** – 1 से 2 क्रियाकलाप • **असंतोषजनक** – किसी भी क्रियाकलाप में भाग नहीं लेना / कोई भी क्रियाकलाप नहीं करना **ध्यातव्य -** क्रियाकलापों की संख्या क्रियाकलापों की बृहद श्रेणी के अन्तर्गत या सभी श्रेणियों को मिलाकर हो सकती है।	कुल क्रियाकलापों की संख्या - ____ **ग्रेडिंग –** • अच्छा / संतोषजनक / असंतोषजनक
समग्र ग्रेडिंग • **अच्छा** – शिक्षण में अच्छा और क्रम संख्या 2 पर उल्लिखित क्रियाकलापों में संतोषजनक या अच्छा हो। • **संतोषजनक** – शिक्षण में संतोषजनक और क्रम संख्या 2 पर उल्लिखित क्रियाकलापों में अच्छा या संतोषजनक। • **असंतोषजनक** - यदि समग्र ग्रेडिंग में न तो अच्छा हो और न ही संतोषजनक हो।		**समग्र ग्रेडिंग–** • अच्छा / संतोषजनक / असंतोषजनक

ध्यातव्य -क्रम संख्या1 और 2 में दिये गए क्रियाकलापों की ग्रेडिंग के आकलन के प्रयोजन हेतु, ऐसी सभी अवधियाँ जो शिक्षकों द्वारा मातृत्व अवकाश, बाल परिचर्या अवकाश, अध्ययन छुट्टी, चिकित्सा छुट्टी जैसी विभिन्न प्रकार की वैतनिक छुट्टियों पर व्यतीत की गई हैं और ग्रेडिंग आकलन में से प्रतिनियुक्ति को शामिल नहीं किया जाएगा। शिक्षक का शेष अवधि के लिए आकलन किया जाएगा और शिक्षक की ग्रेडिंग करने के लिए आकलन की सम्पूर्ण अवधि में से इन अवधियों को हटा दिया जाएगा। उपरोक्त वर्णित ऐसी छुट्टियों / प्रतिनियुक्ति के कारण शिक्षक को सी.ए.एस. के अंतर्गत प्रोन्नति में शिक्षण दायित्वों से उनकी अनुपस्थिति के कारण कोई नुकसान नहीं होगा। बशर्ते ऐसी छुट्टियाँ / प्रतिनियुक्ति इन विनियमों में निर्धारित सभी प्रक्रियाओं का अनुपालन करके सक्षम अधिकारियों के पूर्व-अनुमोदन से और मूल संस्थान के अधिनियमों, संविधियों और अध्यादेशों के अनुसार ली गई हों।

'सी.ए.एस.' प्रोन्नति मानदण्ड		
अकादमिक स्तर 10 से 11 (ए.जी.पी. 6000 से 7000)	योग्यता	(क) एक सहायक आचार्य जिसने पी.एच.डी की उपाधि के साथ सेवा में चार वर्ष पूरे किए हो अथवा पेशेवर पाठ्यक्रम जैसे एल.एल.एम., एम.टेक., एम.वी.एस.सी. और एम.डी. में एम.फिल / स्नातकोत्तर की उपाधि के साथ सेवा में पाँच वर्ष अथवा पेशेवर पाठ्यक्रम में पी.एच.डी. / एम.फिल. / स्नातकोत्तर की उपाधि के बिना सेवा में छह वर्ष पूरे किए हों और निम्न लिखित शर्तों को पूरी करता हो। (ख) शिक्षण कार्यविधि पर 21 दिन की अवधि के एक प्रबोधन पाठ्यक्रम में भाग लिया हो। (ग) इनमें से **कोई एक किया हो** – मूल्यांकन अवधि के दौरान कम से कम सप्ताह (5 दिन) की अवधि का पुनश्चर्या पाठ्यक्रम / शोध कार्यविधि पाठ्यक्रम / कार्यशाला / पाठ्यचर्या उन्नयन कार्यशाला / प्रशिक्षण शिक्षण – ज्ञान अर्जन – मूल्यांकन, प्रौद्योगिकी कार्यक्रम/ संकाय विकास कार्यक्रम पूरा किया हो अथवा एक एम.ओ.ओ.सी. पाठ्यक्रम (ई-प्रमाणन के साथ) पूरा किया हो अथवा चार चतुर्थांश में ई-विषयवस्तु के विकास / एम.ओ.ओ.सी पाठ्यक्रम पूरा किया हो, और (घ) मूल्यांकन अवधि के दौरान समकक्ष व्यक्ति समीक्षित अथवा वि.अ.आ. सूचीबद्ध जर्नलों में **एक शोध प्रकाशन प्रकाशित हुआ हो।**
	मानदण्ड	(क) जैसा कि परिशिष्ट – II तालिका – 1 में विनिर्दिष्ट है, मूल्याङ्कन अवधि के पिछले चार / पाँच / छह वर्षों में से कम से कम तीन / चार / पाँच, इनमें से जो भी लागू हो, वर्ष की वार्षिक निष्पादन मूल्याङ्कन रिपोर्ट में 'सन्तोषजनक' अथवा 'अच्छे' ग्रेड प्राप्त हुए हों। (ख) प्रोन्नति की सिफारिश छानबीन – सह – मूल्याङ्कन समिति द्वारा की गई हो।

अकादमिक स्तर 11 से 12 (ए.जी.पी. 7000 से 8000)	योग्यता	(क) ऐसे सहायक आचार्य जिन्होंने अकादमिक स्तर 11 / वरिष्ठ वेतनमान में पाँच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो। (ख) संगत / संबद्ध विषय में पी.एच.डी की उपाधि प्राप्त की हो। (ग) अकादमिक स्तर – 11 / वरिष्ठ वेतनमान के पिछले पाँच वर्षो के दौरान निम्नलिखित मे से कोई दो किए हो - मूल्यांकन की अवधि के दौरान कम से कम दो सप्ताह (10 दिन) की अवधि (अथवा कम से कम दो सप्ताह (दस दिनों) की अवधि के प्रत्येक एकल पाठ्यक्रम / कार्यक्रम के स्थान पर कम से कम एक सप्ताह (पाँच दिन) की अवधि के दो पाठ्यक्रम पूर्ण किए हों) के पुनश्चर्या पाठ्यक्रम / शोध कार्यविधि पाठ्यक्रम / कार्यशालाओं / पाठ्यचर्या उन्नयन कार्यशाला / शिक्षण – ज्ञान अर्जन – मूल्यांकन / प्रौद्योगिकी कार्यक्रम / संकाय विकास कार्यक्रम / पाठ्यक्रम पूर्ण किए हो; अथवा संगत विषय में (ई-प्रमाणन) सहित एम.ओ.ओ.सी. पाठ्यक्रम पूर्ण किया हो; एक पाठ्यक्रम के कम से कम 10 माड्यूल के 4 चतुर्थाश (कम से कम एक चतुर्थांश) में ई-विषयवस्तु के विकास में योगदान दिया हो / एम.ओ.ओ.सी पाठ्यक्रम संचालित करने में योगदान दिया हो। (घ) मूल्यांकन अवधि के दौरान समकक्ष व्यक्ति समीक्षित अथवा वि.अ.आ. सूचीबद्ध जर्नलों में तीन शोध पत्र प्रकाशित हुए हो।
	मानदण्ड	(क) मूल्याङ्कन अवधि के दौरान पिछले पाँच वर्षो में से कम से कम चार वर्षो के दौरान शिक्षक को वार्षिक निष्पादन मूल्याङ्कन रिपोर्ट में 'सन्तोषजनक' अथवा 'अच्छे' ग्रेड प्राप्त हुए हों (जैसा कि परिशिष्ट – II तालिका – 1 में विनिर्दिष्ट है)। (ख) प्रोन्नति की सिफारिश छानबीन – सह – मूल्याङ्कन समिति द्वारा की गई हो।
अकादमिक स्तर 12 से 13 (ए.जी.पी. 8000 से 9000)	योग्यता	(क) ऐसे सहायक आचार्य जिन्होंने अकादमिक स्तर 12 / चयन ग्रेड में तीन वर्ष की सेवा पूर्ण की हो। (ख) संगत / संबद्ध विषय में पी.एच.डी. की उपाधि प्राप्त हो। (ङ) पिछले तीन वर्षो के दौरान निम्नलिखित में से कोई एक कार्यक्रम / पाठ्यक्रम पूर्ण किए हो – मूल्यांकन की अवधि के दौरान कम से कम दो सप्ताह (10 दिन) की अवधि (अथवा कम से कम दो सप्ताह (दस दिनों) की अवधि के प्रत्येक एकल पाठ्यक्रम / कार्यक्रम के स्थान पर कम से कम एक सप्ताह (पाँच दिन) की अवधि के दो पाठ्यक्रम पूर्ण किए हों) के पुनश्चर्या पाठ्यक्रम / कार्यविधि कार्यशाला / पाठ्यचर्या उन्नयन कार्यशाला / शिक्षण – ज्ञान अर्जन – मूल्यांकन / प्रौद्योगिकी कार्यक्रम / संकाय विकास कार्यक्रम श्रेणी के कार्यक्रमों / पाठ्यक्रमों में से कम से कम 10 माड्यूल के 4 चतुर्थांश (कम से कम एक चतुर्थांश) में ई-विषयवस्तु के विकास में योगदान दिया हो / एम.ओ.ओ.सी पाठ्यक्रम संचालित करने में योगदान दिया हो। (ग) मूल्यांकन अवधि के दौरान समकक्ष व्यक्ति समीक्षित अथवा वि.अ.आ. सूचीबद्ध जर्नलों में कम से कम सात प्रकाशन हुए हों जिसमें तीन शोधपत्रमूल्यांकन अवधि के दौरान प्रकाशित हुए हो। (घ) कम से कम एक पी.एच.डी. अभ्यर्थी का मार्गदर्शन करने के साक्ष्य हो।
	मानदण्ड	(क) जैसा कि परिशिष्ट – II तालिका – 1 में विहित है, मूल्याङ्कन अवधि के पिछले तीन वर्षो में से कम से कम दो वर्षो की वार्षिक निष्पादन मूल्याङ्कन रिपोर्ट में 'सन्तोषजनक' अथवा 'अच्छे' ग्रेड प्राप्त हुए हों; और जैसा कि परिशिष्ट – II तालिका – 2 में विहित है, कम से कम 70 शोध अङ्क प्राप्त किए हो। (ख) इन विनियमों के अनुसार गठित चयन समिति द्वारा प्रोन्नति की सिफारिश की गई हो।
अकादमिक स्तर 13क से 14 (ए.जी.पी. 9000 से 10000)	योग्यता	(क) ऐसे सहायक आचार्य जिन्होंने अकादमिक स्तर 13क में तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो। (ख) संबधित / संबद्ध / संगत विषय में पी.एच.डी. की उपाधि प्राप्त की हो। (ङ) समकक्ष व्यक्ति समीक्षित अथवा वि.अ.आ सूचीबद्ध जर्नलों में कम से कम दस शोध प्रकाशन किए हों जिनमें से तीन शोधपत्र मूल्यांकन अवधि के दौरान प्रकाशितहुए हो। (ग) पी.एच.डी. अभ्यर्थियों का सफलतापूर्वक मार्गदर्शन करने के साक्ष्य हो।
	मानदण्ड	(क) जैसा कि परिशिष्ट – II तालिका – 1 में विहित है, शिक्षक को मूल्याङ्कन अवधि के पिछले तीन वर्षो में से कम से कम दो वर्षो की वार्षिक निष्पादन मूल्याङ्कन रिपोर्ट में 'सन्तोषजनक' अथवा 'अच्छे' ग्रेड प्राप्त हुए हों तथा परिशिष्ट – II तालिका – 2 में यथा विहित है, कम से कम 110 शोध अङ्क प्राप्त किए हों। (ख) इन विनिमयों के अनुसार गठित चयन समिति द्वारा प्रोन्नति की सिफारिश की गई हो।
अकादमिक स्तर 14 से 15	योग्यता	(क) आचार्य के पद पर दस वर्ष का अनुभव। (ख) समकक्ष व्यक्ति समीक्षित अथवा वि.अ.आ सूचीबद्ध जर्नलों में कम से कम दस शोध प्रकाशन किए हों तथा मूल्यांकन अवधि के दौरान उनके पर्यवेक्षण में दो अभ्यर्थियों को सफलतापूर्वक पी.एच.डी की उपाधि प्रदान की गई हो।

परिशिष्ट - II, तालिका - 2

शैक्षणिक / शोध अंक की गणना हेतु विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के शिक्षकों के लिए कार्यप्रणाली –

(आकलन शिक्षकों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों पर आधारित होना चाहिए, जैसे – प्रकाशनों की प्रति, परियोजना स्वीकृति पत्र, विश्वविद्यालय द्वारा जारी उपयोग तथा पूर्णता प्रमाण पत्र, पेटेंट दर्ज कराने संबंधी अभिस्वीकृति और स्वीकृति पत्र, विद्यार्थियों को पीएच.डी. उपाधि प्रदान किए जाने संबंधी पत्र इत्यादि।)

क्र० सं०	शोध, प्रकाशन एवं शैक्षणिक योगदान	भाषा / मानविकी / कला / सामाजिक विज्ञान / पुस्तकालय / शिक्षा / शारीरिक शिक्षा / वाणिज्य / प्रबन्धन तथा अन्य संबंधित विधाएं	प्राप्ताङ्क
1.	समकक्ष व्यक्ति समीक्षित अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सूचीबद्ध पत्रों में शोध पत्र	10 प्रति पत्र	
2.	प्रकाशन (शोध पत्रों के अतिरिक्त)		
	(क) लिखी गई पुस्तकें, जिन्हें निम्नवत के द्वारा प्रकाशित किया गया –		
	१. अन्तर्राष्ट्रीय प्रकाशक	12	
	२. राष्ट्रीय प्रकाशक	10	
	३. सम्पादित पुस्तक में अध्याय	05	
	४. अन्तर्राष्ट्रीय प्रकाशक द्वारा पुस्तक का सम्पादन	10	
	५. राष्ट्रीय प्रकाशक द्वारा पुस्तक का सम्पादन	08	
	(ख) योग्य सङ्काय द्वारा भारतीय और विदेशी भाषाओं में अनुवाद कार्य –		
	१. अध्याय अथवा शोध पत्र	03	
	२. पुस्तक	08	
3.	आई.सी.टी. के माध्यम से शिक्षण ज्ञानार्जन, शिक्षण शास्त्र और विषयवस्तु का सृजन तथा नए और नवोन्मेषी पाठ्यक्रमों और पाठ्यचर्या का विकास		
	(क) नवोन्मेषी अध्यापन का विकास	05	
	(ख) नई पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रमों को तैयार करना	02 प्रति पाठ्यचर्या / पाठ्यक्रम	
	(ग) एम.ओ.ओ.सी.		
	१. चार चतुर्थांश में पूर्ण एम.ओ.ओ.सी. का विकास (4 क्रेडिट पाठ्यक्रम) (कम क्रेडिट के एम.ओ.ओ.सी. के मामले में 05 अङ्क / क्रेडिट)	20	
	२. प्रति माड्यूल / व्याख्यान एम.ओ.ओ.सी. (चार चतुर्थांश में विकसित)	05	
	३. विषयवस्तु लेखक / एम.ओ.ओ.सी. के प्रत्येक माड्यूल हेतु विषयवस्तु विशेषज्ञ (कम से कम एक चतुर्थांश)	02	
	४. एम.ओ.ओ.सी. हेतु पाठ्यक्रम समन्वयक (4 क्रेडिट पाठ्यक्रम) (कम क्रेडिट के एम.ओ.ओ.सी. के मामले में 02 अङ्क / क्रेडिट)	08	
	(घ) ई-विषयवस्तु		
	१. पूर्ण पाठ्यक्रम / ई-पुस्तक हेतु चार चतुर्थांश में ई-विषयवस्तु का विकास	12	
	२. प्रति माड्यूल ई-विषयवस्तु (चार चतुर्थांश में विकसित)	05	
	३. समग्र पाठ्यक्रम / पत्र / ई-पुस्तक में ई-विषयवस्तु माड्यूल के विकास में योगदान (कम से कम एक चतुर्थांश)	02	
	४. सम्पूर्ण पाठ्यक्रम / पत्र / ई-पुस्तक हेतु ई-विषयवस्तु का सम्पादन	10	

4.	शोध क्रियाकलाप		
	(क) शोध मार्गदर्शन		
	१. पीएच.डी.	10 प्रति प्रदान की गई उपाधि 05 प्रति जमा किए गए शोध प्रबन्ध	
	२. एम.फिल. / स्नातकोत्तर शोध प्रबन्ध	02 प्रति प्रदान की गई उपाधि	
	(ख) पूरी की गई शोध परियोजनाएं		
	१. 10 लाख से अधिक	10	
	२. 10 लाख से कम	05	
	(ग) जारी शोध परियोजनाएं		
	१. 10 लाख से अधिक	05	
	२. 10 लाख से कम	02	
	(घ) परामर्शदात्री सेवाएं	03	
5.			
	(क) पेटेंट		
	१. अन्तर्राष्ट्रीय	10	
	२. राष्ट्रीय	07	
	(ख) नीतिगत दस्तावेज (सं.रा.सं. / यूनेस्को / विश्व बैंक / अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष इत्यादि अथवा केन्द्र सरकार या राज्य सरकार जैसी किसी अन्तरराष्ट्रीय निकाय / संगठन को सौंपे गए)		
	१. अन्तर्राष्ट्रीय	10	
	२. राष्ट्रीय	07	
	३. राज्य	04	
	(ग) पुरस्कार / अध्येतावृत्ति		
	१. अन्तर्राष्ट्रीय	07	
	२. राष्ट्रीय	05	
6.	*अतिथि व्याख्यान / संसाधक / संगोष्ठियों / सम्मेलनों में पत्र प्रस्तुतीकरण / सम्मेलन कार्यवाहियों में पूर्ण पत्र प्रस्तुत करना (संगोष्ठियों / सम्मेलनों में प्रस्तुत किए गए पत्र और सम्मेलन कार्यवाहियों में पूर्ण पत्र के रूप में प्रकाशित पत्रों की गणना सिर्फ एक बार की जाएगी)		
	१. अन्तर्राष्ट्रीय (विदेश)	07	
	२. अन्तर्राष्ट्रीय (देश के भीतर)	05	
	३. राष्ट्रीय	03	
	४. राज्य / विश्वविद्यालय	02	

सहकर्मी द्वारा समीक्षित अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सूचीबद्ध जर्नल (थॉमसन रॉयटर्स की सूची के अनुसार निर्धारित किए जाने वाले प्रभाव कारक) –

i.	प्रभाव कारक रहित सन्दर्भित जर्नल में प्रकाशित पत्र –	05 अङ्क
ii.	1 से कम प्रभाव कारक वाले पत्र –	10 अङ्क
iii.	1 और 2 के बीच प्रभाव कारक वाले पत्र –	15 अङ्क
iv.	2 और 5 के बीच प्रभाव कारक वाले पत्र –	20 अङ्क
v.	5 और 10 के बीच प्रभाव कारक वाले पत्र –	25 अङ्क
vi.	10 से अधिक प्रभाव कारक वाले पत्र –	30 अङ्क

(क) दो लेखक – प्रत्येक लेखन हेतु प्रकाशन के कुल मान का 70 प्रतिशत

(ख) दो से अधिक लेखक – प्रथम / मूल / संवादी लेखक हेतु प्रकाशन के कुल मान का 70 प्रतिशत और प्रत्येक संयुक्त लेखकों हेतु प्रकाशन के कुल मान का 30 प्रतिशत

संयुक्त परियोजनायें – मूल शोधकर्ता और सह शोधकर्ता में से प्रत्येक को 50 प्रतिशत होगा

ध्यातव्य –

- यदि सम्पादित पुस्तक अथवा कार्यवाहियों के भाग के रूप में पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो इस पर एक बार ही दावा किया जा सकता है।
- शोध विद्यार्थियों के संयुक्त पर्यवेक्षण के लिये पर्यवेक्षक और सह पर्यवेक्षक हेतु सूत्र, कुल प्राप्तांक का 70 प्रतिशत होगा। पर्यवेक्षक और सह-पर्यवेक्षक दोनों में से प्रत्येक को 7 अंक मिलेंगे।
- *शिक्षक के शोध अंकों की गणना करने के लिए प्रयोजनार्थ 5 (ख), नीतिगत दस्तावेज और 6 की श्रेणियों में से संयुक्त शोध अंक, आमन्त्रित व्याख्याता / संसाधक / पत्र प्रस्तुतीकरण संबंधित शिक्षक के कुल शोध अंकों के लिए अधिकतम 30 प्रतिशत की ऊपरी सीमा होगी।
- शोध प्राप्तांक 6 श्रेणियों में से कम से कम तीन श्रेणियों से होंगे।

API अंक का सारांश :

श्रेणी संख्या संख्या	श्रेणी का नाम	मूल्यांकित वर्ष की ग्रेडिंग / **API**अंक
I	शिक्षण सम्बन्धित क्रियाकलाप	
II	छात्र/शोध सम्बन्धित क्रियाकलाप	
III	शोध, प्रकाशन एवं शैक्षणिक योगदान	

अन्य सूचनायें

क्रम सं.	विवरण

उपर्युक्त सभी सूचनाएं मेरे संज्ञान में सत्य है और उनके समर्थन में आवश्यक प्रमाण–पत्र संलग्न किये गये हैं जिनका विवरण निम्न सूची में दिया जा रहा है।

संलग्न प्रमाण–पत्रों की सूची :–

क्र.सं.	सम्बन्धित प्रमाण–पत्र	क्र.सं.	सम्बन्धित प्रमाण–पत्र

अध्यापक का नाम : ....

पदनाम : ....

हस्ताक्षर : ....

दिनांक : ....

विभागाध्यक्ष द्वारा मूल्यांकन

(प्रतिवेदन मूल्यांकन वर्ष : ....)

1. अध्यापक का नाम एवं पद :..
2. अध्यापक की सहभागिता एवं समर्पण :..
3. अध्यापन की योजना क्षमता और अध्यापन कौशल :..
4. सत्यनिष्ठता :..
5. अनुशासनात्मक कार्यवाही/
   चेतावनी (मूल्यांकित वर्ष में यदि कोई हो) :..
6. समय–निष्ठता :..
7. अतिरिक्त क्रियाकलापों में सहभागिता :—
   (अ) विभागीय प्रशासकीय क्रियाकलापों में सहभागिता :..
   (ब) विभागीय अध्ययन मण्डल एवं शोध समीक्षा समिति में सहभागिता:..
   (स) शिक्षणेतर गतिविधियों में सहभागिता :..
   (द) अन्य क्रिया कलापों में सहभागिता (विवरण सहित) :..
8. वार्षिक ग्रेडिंग/एपीआई का श्रेणीवार तथ्यसंगत मूल्यांकन

श्रेणी संख्या	श्रेणी का नाम	मूल्यांकित ग्रेडिंग/अंक	सहमत/असहमत (असहमति प्रमाण सहित स्पष्टीकरण)
I	शिक्षण संबंधी क्रियाकलाप ग्रेडिंग –	(1)	(1) सहमत / असहमत
	श्रेणी–I ग्रेडिंग	----------------	
II	छात्र/शोध संबंधित क्रियाकलाप कुल क्रियाकलापों की संख्या ग्रेडिंग	(1) .... (2)	(1)सहमत / असहमत (2)सहमत / असहमत
	श्रेणी–II ग्रेडिंग	------------------	
III	शोध, प्रकाशन एवं शैक्षणिक योगदान	(1)---------- अंक (2) --------- अंक (3) ---------- अंक (4)---------- अंक (5) --------- अंक (6) ---------- अंक	(1) सहमत / असहमत (2) सहमत / असहमत (3) सहमत / असहमत (4) सहमत / असहमत (5) सहमत / असहमत 6) सहमत / असहमत
	श्रेणी–III कुल APIअंक	------------------ अंक	सहमत / असहमत

यदि असहमत हैं तो श्रेणी संख्या : ....

प्रमाण सहित स्पष्टीकरण : ....

हस्ताक्षर : ....

नाम व पदनाम :..

विभागाध्यक्ष पद पर नियुक्ति तिथि :..

मुहर :..

तिथि:..

संकाय प्रमुख द्वारा मूल्यांकन

(प्रतिवेदन मूल्यांकन वर्ष : ....)

1. अध्यापक का नाम एवं पद ....
2. नियुक्ति तिथि ....
3. आवेदक के स्व मूल्यांकन की टिप्पणी में किसी विशेष बिन्दु पर प्रतिकूल टिप्पणी यदि कोई हो, तो ....
4. विभागाध्यक्ष द्वारा किये गये मूल्यांकन पर विशेष टिप्पणी ....

   ....
5. मूल्यांकन सारांश
   - क. अध्यापक के कार्यों के विषय में :– (सर्वोत्कृष्ट / सर्वोत्तम / उत्तम / संतोषजनक / असंतोषजनक)
   - ख. अध्यापक के चरित्र के विषय में :– (सर्वोत्कृष्ट / सर्वोत्तम / उत्तम / संतोषजनक / असंतोषजनक)
6. अन्य कोई टिप्पणी : ....

   ....

6. वार्षिक एपीआई का श्रेणीवार तथ्यसंगत मूल्यांकन

श्रेणी संख्या	श्रेणी का नाम	मूल्यांकित ग्रेडिंग / अंक	सहमत / असहमत (असहमति प्रमाण सहित स्पष्टीकरण)
I	शिक्षण संबंधी क्रियाकलाप ग्रेडिंग	(1)----------	(1) सहमत / असहमत
	श्रेणी–I ग्रेडिंग	---------------	
II	छात्र / शोध संबंधित क्रियाकलाप कुल क्रियाकलापों की संख्या ग्रेडिंग	(1)---------- (2) ---------	(1)सहमत / असहमत (2)सहमत / असहमत
	श्रेणी–II ग्रेडिंग	------------------	
III	शोध, प्रकाशन एवं शैक्षणिक योगदान	(1)---------- अंक (2) --------- अंक (3) ---------- अंक (4)---------- अंक (5) --------- अंक (6) ---------- अंक	(1) सहमत / असहमत (2) सहमत / असहमत (3) सहमत / असहमत (4) सहमत / असहमत (5) सहमत / असहमत 6) सहमत / असहमत
	श्रेणी–III कुल APIअंक	------------------ अंक	सहमत / असहमत

यदि असहमत हैं तो श्रेणी संख्या : ....

प्रमाण सहित स्पष्टीकरण : ....

हस्ताक्षर : ....

मुहर :.. नाम व पदनाम :..

तिथि :.. संकायाध्यक्ष पद पर नियुक्ति तिथि :..

कुलपति महोदय की स्वीकृति / अस्वीकृति

कुलपति